न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA050 Indro Vs Amaansingh

1. इन्द्रो पत्नी डाउराम मेघवाल
2. लहरा पत्नी हीराराम मेघवाल
3. मीरा पत्नी कानारा मेघवाल
4. लोंगो पत्नी देवाराम मेघवाल
5. साउ पत्नी रुगाराम मेघवाल
6. चेनी पत्नी गुणाराम मेघवाल
7. हीराराम पुत्र रिदाराम मेघवाल

निवासीगण बगतावरनगर, शेखासर तहसील बाप, जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ड्स

ब

ना

म

1. अमानसिंह पुत्र भेरुसिंह राजपूत, निवासी बगतावरनगर, शेखासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर
2. भेरुराम पुत्र नेनूराम जाट निवासी छीला तहसील फलोदी जिला जोधपुर लीजधारक अज्योर पावर थर्टी फोर प्राइवेट लि. वर्ल्ड मार्क-3, एरोसिटी नई दिल्ली
3. पेमाराम पुत्र नेनूराम जाट निवासी छीला तहसील फलोदी जिला जोधपुर लीजधारक अज्योर पावर थर्टी फोर प्राइवेट लि. वर्ल्ड मार्क-3, एरोसिटी नई दिल्ली
4. ओमप्रकाश पुत्र नेनूराम जाट निवासी छीला तहसील फलोदी जिला जोधपुर लीजधारक अज्योर पावर थर्टी फोर प्राइवेट लि. वर्ल्ड मार्क-3, एरोसिटी नई दिल्ली

-----रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर बाप दिनांक 16

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मई 2019 प्रकरण संख्या 118/2019 इन्द्रो
बनाम अमानसिंह

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
रेस्पो. संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 15 नवम्बर 2019

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 118/2019 इन्द्रो व अन्य बनाम अमानसिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 16 मई 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 28 मई 2019 को प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स-प्रार्थीगण की ओर से रेस्पो. -अप्रार्थीगण के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 व 92 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 136 के तहत आराजी खसरा संख्या 213/428 रकबा 49 बीघा 15 बिस्वा वाके मौजा बगतावरनगर पटवार क्षेत्र शेखासर में अपने 1/2 हिस्से बाबत प्रस्तुत किया जाना जाहिर किया तथा यह भी जाहिर किया कि पटवारी हलका के साथ मिलकर अप्रार्थीगण-प्रतिवादीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 213/1 रकबा 74 बीघा 18 बिस्वा की तरमीम अपीलाण्ट्स के कब्जे-काश्त की भूमि पर भी बिना किसी विधिक आदेश के सेग्रीकेशन योजना के तहत करवा ली है। उक्त इन्द्राजात और तरमीम के आधार पर रेस्पो. आगे वादग्रस्त आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लीज पर देने के लिए आमादा है, अतः उन्हें पाबन्द करने और अपीलाण्ट्स-प्रार्थीगण के हितों को संरक्षित करने के लिए मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 16 मई 2019 को दर्ज किया गया और अपीलाण्ट्स-प्रार्थीगण के अधिवक्ता की इकतरफा बहस सुनी जाकर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं समझते हुए अप्रार्थीगण के नोटिस जारी कर मिसल आइन्दा 14 जून 2019 की तारीख पेशी मुकर्रर की गयी। उक्त आदेश के खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

रेस्पो. संख्या एक से चार बावजूद रजिटर्ड ए.डी. से सम्मन भिजवाने के बाद 30 दिवस की अवधि के अवसान के पश्चात भी अनुपस्थित। अधिवक्ता-अपीलाण्ट उपस्थित। जिनकी इकतरफा बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 213/428 के अभिलिखित संयुक्त खातेदारान एवं काबिज काश्तकारान है तथा रेस्पो. खसरा संख्या 213/1 रकबा 74 बीघा 18 बिस्वा की गलत तरमीम के आधार पर अपीलाण्ट्स को उनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। यदि रेस्पो. को ऐसा करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका नहीं जाता है तो मूल वाद के निस्तारण के पूर्व ही रेस्पो. अपने मनसूबों में कामयाब हो जायेंगे और अपीलाण्ट्स को गम्भीर असुविधा एवं अपूरणीय क्षति होगी। साथ ही पक्षकारान के मध्य अनावश्यक वादकरण उत्पन्न होंगे। इस प्रकार मामले में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट्स के पक्ष में साबित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होते है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अपर्याप्त होने के कारण पूर्व में दिनांक 30 मई 2019 को पटवारी हलका शेखासर से जानकारी ली गयी, जिससे विदित हुआ कि **मूल खसरा संख्या 213 के आठ विभाजित हिस्से हुए - सर्वप्रथम हुए विभाजन के परिणामस्वरूप खसरा संख्या 213 तीन हिस्सों मूल खसरा संख्या 213, 213/1 एवं 213/2 में विभाजित हुआ।** इसके बाद इसमें पांच और विभाजन हुए, जमाबंदी के अनुसार विवरण इस प्रकार है --

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा		खातेदार का नाम
		बीघा	बिस्वा	
1	213	74	18	चैनसिंह भेरूसिंह
2	213/1	74	18	अमानसिंह भैरूसिंह
3	213/2	25	00	भंवरी पत्नी रामलाल
4	213/423	50	00	ओमकंवर/सुमेरसिंह
5	213/424	74	18	पेम्पकंवर पत्नी भूरसिंह
6	213/425	49	17	वीरकंवर पत्नी जबरसिंह
7	213/426	50	00	सुमेरसिंह पुत्र खेतसिंह
8	213/428	49	15	अपीलाण्ट्स

खसरा संख्या 213/1 सर्वप्रथम की गयी तरमीम है और राजस्व नक्शें में बाकायदा लाल स्याही से नियमानुसार पुख्ता होकर अंकित है। इसलिए इसके संबंध में, जब तक कि अपीलाण्ट्स अपना कोई कब्जा सिद्ध नहीं कर देते, किसी प्रकार का दखल दिया जाना उचित नहीं है। मूल खसरे से विभाजित अन्य खसरों की नक्शें में पेन्सिल से की गई प्रथम दृष्टया तरमीम का नक्शा मुताबिक अपीलाण्ट्स के अधिवक्ताद्वारा प्रस्तुत नक्शें में मोटे तौर पर अंदाजिया दर्शाया जाकर **परिशिष्ट-1 पत्रावली** में संलग्न किया जाकर

पूर्व में पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 30 मई 2019 का अभिन्न अंग कायम किया जा चुका है। अपीलाण्ट्स खसरा संख्या 213/428 के अभिलिखत खातेदार काश्तकार है, अतः अधिक से अधिक वे अपनी कब्जे काश्त वाली खातेदारी भूमि के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी ठहरते है और इसलिए उनका इस सीमा तक प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति का कथन माना जाता है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर से स्वीकार की जाती है और अपीलाण्ट्स की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 213/428 रकबा 49 बीघा 15 बिस्वा वाके मौजा बगतावरनगर पटवार हळका शेखासर तहसील बाप के संबंध में अदालत हाजा द्वारा पूर्व में पारित अंतरिम स्थगन आदेश **दिनांक 30 मई 2019** अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद के निस्तारण तक संपुष्ट किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 15/11/19

(नरवतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर